श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 13–09–2014 को जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यशाला के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति :–

1 आरक्षी अधीक्षक, पूर्णियाँ।
2 सिविल सर्जन, पूर्णियाँ
3 अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
4 एस0डी0पी0ओ0 सदर पूर्णियाँ।
5 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्णियाँ।
6 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
7 सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ।
8 सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
9 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, पूर्णियाँ।
10 जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
11 आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ।
12 उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ।
13 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
14 राज्य सलाहकार तम्बाकू, पटना।
15 प्रोग्राम पदाधिकारी, सीड्स पटना।
16 एस0एम0ओ0, डब्लू0एच0ओ0, पूर्णियाँ।
17 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा0 स0, पूर्णियाँ।
18 जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वा0 स0, पूर्णियाँ।
19 जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्वा0 स0, पूर्णियाँ।
20 जिला कॉर्डिनेटर, सीड्स, पटना।
21 प्रतिनिधि, दैनिक जागरण, पूर्णियाँ।
22 प्रतिनिधि, प्रभात खबर, पूर्णियाँ।
23 प्रतिनिधि, ई0टी0भी0 पूर्णियाँ।

जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ एवं सोशियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13–09–2014 को 11:00बजे पूर्वाह्न में जिलाधिकारी सभाकक्ष में जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य :–

- पूर्णियाँ जिले को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित करने हेतु तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं (कोटपा–2003) का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
- पूर्णियाँ जिला में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा–2003) का संस्थानीकरण करना।
- जिला के विभिन्न पदाधिकारियों का कोटपा–2003 के बारे में उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन।
- स्वास्थ्य विभाग के अलावे अन्य दूसरे विभागों का तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में भूमिका एवं उनसे अपेक्षित सहयोग।

- सर्वप्रथम सिविल सर्जन द्वारा सभी सदस्यों का बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया तथा सभी सदस्यों का परिचय लिया गया।
- सीड्स के कार्यक्रम समन्वयक श्री रिम्पल झा के द्वारा तम्बाकू के सेवन से होने वाले कैंसर की बीमारी से संबंधित वीडियो दिखाया गया।
- तत्पश्चात् मो0 मसूद आलम सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा तम्बाकू से होने वाले मृत्यु के आंकडों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

- जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा कोटपा 2003 अधिनियम अन्तर्गत जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक की गयी सभी कारवाई एवं अधिनियम के उल्लंघन हेतु दंड की राशि के वसूली के संबंध में बताया गया।
- सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी ने तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को बिहार राज्य के परिपेक्ष्य में रखकर उसके हानियों के बारे में तम्बाकू सेवन के आंकड़ों के माध्यम से विस्तार से बताया साथ ही उन्होंने **सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003** के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया गया कि जन स्वास्थ्य के हित में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अव्यस्कों को या शैक्षणिक संस्थानों के निकट इनके बिक्री की वर्जित किया गया है। तम्बाकू या निकोटिन मिलाई गई कोई भी पदार्थ आहार सामग्री के रूप में बनाई या बेची नहीं जा सकती है।
- जिलाधिकारी महोदय ने सम्बोधन में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को जिले से पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने सभी विभागों को इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाने का निर्देश दिया साथ ही खासकर आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों एवं पंचायती राज संस्थानों के सभी सदस्यों को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जोड़ने पर बल दिया।

- उक्त जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यशाला में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. **तम्बाकू नियंत्रण कोषांग का सुदृढ़ीकरण** :-
जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग को सुदृढ़ करने हेतु किसी वरीय उप समाहर्त्ता पूर्णियाँ को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग का नोडल पदाधिकारी–सह–समन्वयक नामित करने का निर्णय लिया गया। ये जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु समन्वय स्थापित करेंगे। सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ किसी एक कर्मी को नामित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे ताकि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित सभी आदेश एवं कार्रवाई ससमय सम्पादित किया जा सके। **(अनुपालन :– सिविल सर्जन, पूर्णियाँ)**

2. **छापामार दस्ता के प्रशिक्षण के संबंध में –**
जिले को TAPS (Tobacco Advertismnent Promosion & Sponsership) Free करने के लिए आगामी माह में छापामार दस्ता के प्रशिक्षण आयोजित कराने का निदेश दिया गया।

3. **धूम्रपान मुक्त पूर्णियाँ जिला** :-
पूर्णियाँ जिलान्तर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा–2003) के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी /मालिक हर प्रवेश द्वार एवं प्रत्येक मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 से0मी0 X 45 से0मी0 का धूम्रपान निषेध क्षेत्र का सफेद पृष्ठ भूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड के डिजायन का प्रारूप "सीड्स" के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

4. **तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का पुर्नगठन** :-
तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का गठन राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र के अनुरूप जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति पूर्णियाँ, पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ, जिला खाद्य /औषधि नियंत्रक, पूर्णियाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, पूर्णियाँ, जिले के दो प्रसिद्ध महाविघालय के प्राचार्य एवं स्वयं सेवी संस्था के रूप में सोशियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार एवं रेड क्रास सोसाइटी, पूर्णियाँ को सदस्य के रूप मे नामित किया गया।

5. **प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध** :-
पूर्णियाँ जिलान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये तम्बाकू उत्पाद से संबंधित होर्डिंग बोर्ड एवं तम्बाकू बिक्री स्थल पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तम्बाकू का विज्ञापन को हटाने का निर्णय लिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों से इस प्रकार के विज्ञापनों का बोर्ड हटाकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। **(अनुपालन :– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्णियाँ)**

6. **<u>सूचना तंत्र की स्थापना एवं प्रचार प्रसार</u>** :–

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति को सूचना देने हेतु टेलीफोन नं0 आवंटित कर इसे प्रचारित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा के साथ सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला नोडल पदाधिकारी के मोबाईल नं0 एवं जिला स्वास्थ्य समिति का दूरभाष सं0 का उपयोग का निर्णय लिया गया।
- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे प्रमुख स्थानों पर तम्बाकू उपयोग से होनेवाली बिमारियों एवं कोटपा 2003 से संबंधित धाराओं का व्यापक प्रचार प्रसार होर्डिंग के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। होर्डिंग डिजायन का प्रारूप "सीड्स" के प्रतिनिधि द्वारा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। स्थल चयन में पूर्णियाँ जिला के शहरी क्षेत्र, पर्यटन केन्द्र, पूर्णियाँ प्रवेश द्वार एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को प्राथमिकता देंगे। स्थल चयन सूची पर अधोहस्ताक्षरी से परामर्श करने का निदेश दिया गया।
- जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे सभी बसों एवं ऑटो रिक्सा में तंबाकू उपयोग से होनेवाली बिमारियों एवं कोटपा नियम से संबंधित प्रचार–प्रसार सामग्री यथा पंपलेट, बोर्ड का प्रदर्शन एवं वितरण स्थानीय यातायात संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कराना सुनिश्चित करें। **<u>(अनुपालन : डी0टी0ओ0, पूर्णियाँ /डी0पी0आर0ओ0, पूर्णियाँ)</u>**

7. **<u>छापामार दस्ता के द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में</u>** :–

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया कि जिला से प्रखंड स्तर तक गठित जिला /अनुमंडल /प्रखंड स्तरीय छापामार दल प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापेमारी करते हुए तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के धारा 4, 5 एवं 6 के उल्लंघन करने वाले ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थानों के प्रभारी से जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी /गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन एवं चौक चौराहे आदि प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करते है तब उन पर 200 रू0 का जुर्माना लगाया जाये। सभी संबंधित को इस बात की जानकारी देने का निदेश दिया गया कि धारा 5 के उल्लघंन पर रूपये 1000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा 01 से 05 वर्ष की सजा हो सकती है तथा धारा 7 के उल्लंघन पर रूपये 1000 से 10000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है तथा 02 से 05 वर्ष की सजा का प्रावधान है। चालान की गई राशि का संधारण नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ के द्वारा खोली गई बैंक खाता में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उक्त राशि को ICICI बैंक के SHSB (Tobacco Control) के खाता संख्या 040401008115 में हस्तांतरण कर दिया जाय। **(अनुपालन :– सभी सदस्य छापेमार दल, तथा जिला नोडल पदाधिकारी)**

8. **<u>नाबालिगों के बिक्री पर प्रतिबंध</u>** :–

तंबाकू विक्रय केन्द्रों पर नाबालिगों को (18 वर्ष से कम) तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है से संबंधित बोर्ड भी लगाना आवश्यक है (कोटपा धारा–6ए)। इसके उल्लंघन पर रूपये 200 का जुर्माना किया जा सकता है। बैठक में निदेशित किया गया कि जिला /अनुमंडल /प्रखंड स्तरीय छापेमार दल, छापेमारी के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी तंबाकू बिक्री के स्थान पर उक्त आशय का बोर्ड लगा रहना चाहिए। **(अनुपालन – सभी संबंधित थानाध्यक्ष एवं सदस्य जिला /अनुमंडल /प्रखंड स्तरीय छापामारी दल)**

9. **<u>तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान</u>** :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि वे सभी शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य प्रवेश द्वार पर इस आशय का बोर्ड लंगवाना (दीवार लेखन) सुनिश्चित करें कि **<u>"शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है।"</u>** छापामारी दल, छापामारी के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं हो रही हो तथा उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति पर रूपये 200 का जुर्माना लगाया जा सकता है। **(अनुपालन – जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ)**